न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

ार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
01/25	03/01/25	20/08/25

// उनवान //

1. राजकुमार पुत्र बेदराम जाति अहीर, निवासी खलियावास पो0 मसानी तहसील धारूहेड़ा, रेवाड़ी। (हरि0)

:– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–वकील प्राथी श्री पृथ्वीसिंह यादव।

निर्णय दिनांक :– 20/08/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः निम्न प्रकार रहाः–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.96है0 का 1/5 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा जो प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी खसरा 76 रकबा 2.28 है0, 78 रकबा 1.96है0 का 1/5 भाग को जर्ये बैयनामा दिनांक 29.07.2024 को खरीद किया है।
3. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 1.97 है0 से बने है विवादित खसरा नम्बर 78 का 1/5 भाग प्रार्थी ने दिनांक 29.07.24 को जर्ये रजि0 बैयनामा खरीद किया था बैयनामा लिखाते समय खसरा नम्बर 78 की जमाबंदी प्राप्त की गयी थी और सबरजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर बैयनामा कराया गया था बैयनामा अनुसार ही राजस्व कार्यालय में रिकॉर्ड में अमल दर्ज हो गया मिन प्रार्थी अपने हिस्से का कंब्जे काश्त खातेदार है लेकिन हाल ही में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जो सैटलमैन्ट किया गया है राजस्व रिकॉर्ड ऑन लाईन किया गया है उसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस (एक्स पर्चा) बनाते समय खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 79 लिखा गया तथा गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 78 लिखा गया जो खिलाफ मौका व खिलाफ रिकॉर्ड है मिन प्रार्थी के हक हकूको के खिलाफ है काबिल दुरूस्ती है उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिए लैण्ड होल्डर तहसील महोदय से दिनांक 26.12.2024 को आवेदन किया तो अदालत से आदेश लाने को कहा इसलिए अदालत श्रीमान में प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

4. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बर 78 की जगह खसरा 79 व हाल खसरा नम्बर 79 की जगह खसरा नम्बर 78 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो गलत है मिन वादी के हक व अधिकारों के विरूध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरूस्ती है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है।
5. यह है कि मिन प्रार्थीगण की आराजी विवादित उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होने से मिन प्रार्थीगण की स्वयं की कब्जेकाश्त खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सरकार से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ प्रधानमंत्री योजना से मिलने वाली राशी तथा कृषि भूमि की जहचान व मौका स्थिति का पता लगाने या पडोस कृषकों द्वारा जवरन डोल वगैरा काटने का अन्देशा बना रहता है मिन प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर का राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन जो हाल खसरा नम्बर 78 की जगह खसरा नम्बर 79 व हाल खसरा नम्बर 79 की जगह खसरा नम्बर 78 दर्ज है को दुरूस्त कराने का अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर प्रयास किया, लेकिन अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.12.2024 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा अदालत के आदेश लाने को कहा तो अविलम्ब ही प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यु एक्ट 1956 पेश करना आवश्यक आया है।
6. यह है कि प्रार्थना–पत्र बाबत बिनायवादी बिनायमुखास्मत दिनांक 26.12.2024 को पैदा होकर प्रार्थना–पत्र हाजा अन्दर अवधि पेश है।
7. यह है कि आराजी वाके ग्राम धोकलनगर में स्थित है जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर प्रार्थना–पत्र हाजा अदालत श्रीमान द्वारा श्रवण योग्य है।
8. यह है कि प्रार्थना–पत्र हाजा पर 2 रू कोर्ट फीस व नियमानुसार तलबाना शुल्क चस्पा कर पेश है।

अतः श्रीमान जी प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 के राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 के राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेश में सद्भाविक त्रुटि से दर्ज हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 की जगह खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05है0 दर्ज है जिसको दुरूस्त कर हाल खसरा नम्बर 79 की जगह 78 एवं खसरा नम्बर 78 की जगह 79 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा।

प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई जाकर प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/7162 दिनांक 14.08.2025 जमाबंदी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम धोकलनगर आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 2.28है0, 607 रकबा 0.05है0, 608 रकबा 1.97है0 मनोज, मोहनलाल, राजेश, मुखराम, संजय पुत्रान जगदीश जाति अहीर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2069–70 के दौरान मुताबिक मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम धोकलनगर के साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 2.28है0, 607 रकबा 0.05है0, 608 रकबा 1.97है0 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 76 रकबा 2.28है, 79 रकबा 0.05है0, 78 रकबा 1.96है0 एवं मिन 77 रकबा 0.01है0 पैमूद हुये हैं। तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 2.28है0 एवं 708 रकबा 1.96है0 का 1/5 हिस्सा प्रार्थी राजकुमार द्वारा जर्ये बैयनामा दिनांक 29.07.2024 को क्रय किया गया है। अतः हाल नक्शा एवं साबिक नक्शा सम्वत 2029 का मिलान करने पर विवित है कि खसरा नम्बर 78 एवं 79 कि स्थिति में विचलन है, बंदोबस्त विभाग द्वारा सहवन से हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05है0 किस्म गै.मु.चाह को खसरा नम्बर 78 रकवा 1.96 की जगह अंकित कर दिया। तथा हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

है0 को खसरा नम्बर 79 किस्म गै.मु.चाह की जगह अंकित कर दिया गया। अतः श्रीमान जी हाल नक्शे में खसरा नम्बर 78 को खसरा नम्बर 79 की जगह एवं खसरा नम्बर 79 को खसरा नम्बर 78 की जगह संसोधन किया जाना अभिशंषनीय है। तथा उक्तानुसार नक्शा संसोधन से वर्तमान जमावंदी की स्थिति में कोई फेरबदल नहीं होगा।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद में नकल जमावंदी सम्वत 2078 आराजी खसरा नम्बर 79 एवं 78 नकल हाल नक्शा ट्रेश, एवं नकल जमावंदी सम्वत 2069, नकल जमाबंदी 2071, नकल जमावंदी 2067, नकल जमावंदी 2063, नकल जमावंदी 2055 एवं नकल जमाबंदी 2059 एवं छायाप्रति बैयनामा दिनांक 29.07.2024 पेश होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना–पत्र के बावत वकील प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि कि आराजी हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 1.97 है0 से बने है विवादित खसरा नम्बर 78 का 1/5 भाग प्रार्थी ने दिनांक 29.07.24 को जर्ये रजि0 बैयनामा खरीद किया था बैयनामा लिखाते समय खसरा नम्बर 78 की जमाबंदी प्राप्त की गयी थी और सबरजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर बैयनामा कराया गया था बैयनामा अनुसार ही राजस्व कार्यालय में रिकॉर्ड में अमल दर्ज हो गया मिन प्रार्थी अपने हिस्से का कब्जे काश्त खातेदार है लेकिन हाल ही में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जो सैटलमैन्ट किया गया है राजस्व रिकॉर्ड ऑन लाईन किया गया है उसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस (एक्स पर्चा) बनाते समय खसरा नम्बर 78 रकबा 1.96 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 79 लिखा गया तथा गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 78 लिखा गया जो खिलाफ मौका व खिलाफ रिकॉर्ड है मिन प्रार्थी के हक हकूको के खिलाफ है काबिल दुरूस्ती है अभिकथन करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर हाल नक्शे में खसरा नम्बर 78 को खसरा नम्बर 79 की जगह एवं खसरा नम्बर 79 को खसरा नम्बर 78 की जगह दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किये जाने पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र को न्यायालय स्वीकार योग्य पाया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर **"हाल नक्शा वाके ग्राम धोकलनगर में खसरा न0 78 की जगह खसरा नम्बर 79 एवं खसरा नम्बर 79 की जगह खसरा नम्बर 78 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner